



कार्यालय जिलाधिकारी, अमेठी

संख्या/30/ई-लाटरी/आबकारी दुकान/व्यवस्थापन/2020-21/अमेठी/दिनांक 2 जून, 2020

विज्ञापित


आबकारी आयुक्त उ0प्र0 की विज्ञापित संख्या-12567/टास्क फोर्स-2/ई-लाटरी/2019-20 लखनऊ दिनांक जून 01, 2020 के कम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी नीति वर्ष 2020-21 में आबकारी दुकानों के ई-लाटरी के प्रथम चरण पश्चात अवशेष देशी शराब एवं भांग की दुकानों के ई-लाटरी की द्वितीय चरण हेतु आवेदकों को आवेदन करने की संशोधित तिथि 04.06.2020 को सांय 05:00 बजे तक है। आबकारी नीति की विस्तृत जानकारी आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexcise.in तथा जनपद अमेठी की वेबसाइट <http://amethi.nic.in> पर उपलब्ध है। उक्त के सम्बन्ध में ई-लाटरी से सम्बन्धित पृच्छाओं के समाधान हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अमेठी पर सम्पर्क किया जा सकता है। द्वितीय चरण में दिनांक 06.06.2020 को प्रातः 11:00 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार गौरीगंज में ई-लाटरी की प्रक्रिया दुकानवार प्रारम्भ की जायेगी। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


(आर0के0वर्मा)
जिला आबकारी अधिकारी,
अमेठी।


(अरूण कुमार)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
अमेठी।

संख्या:- 131 / तददिनांक

- प्रतिलिपि:- 1-विज्ञापन व्यवस्थापन 1.
जनपद-अमेठी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित उक्त विज्ञापन को अपने समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण के अग्रिम अंक में न्यूनतम स्पेस पर प्रकाशित कर बिल जिला सूचना अधिकारी, अमेठी से सत्यापित कराकर अधेहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त आबकारी निरीक्षक, अपराध क्षेत्र, अमेठी।


(आर0के0वर्मा)
जिला आबकारी अधिकारी,
अमेठी।